

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, कोटकासिम
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट) कैम्प...

पीठासीन अधिकारी :- बलवन्तसिंह लिग्री, आर.ए.एस.

उनवान

बनाम

नमन मिश्रा बनाम नमन

रावा बाबत

53, 188 R.T. Act.

मुकदमा नम्बर :- 150/13

निर्णय दिनांक :- 13-6-15

वादी की ओर से नमन मिश्रा की व प्रतिवादी की ओर से नमन की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 13-6-15 को बलवन्तसिंह लिग्री (नाम पीठासीन अधिकारी), उपखण्ड अधिकारी, कोटकासिम के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि -

प्रादेशिका

विवाह अर्जी सं. नं० 41/0-13, 46/1-03, 66/0-14, 81/0-18.

87/0-07, 98/0-04, 101/0-05, 332/1-09, 334/0-12, 340/0-07.

360/0-11, 364/0-03, 387/1-00, 394/0-12, 409/2-02, 420/0-11,

492/5-05 विवाह 17 सं. नं० 16 वीं व 16 विवाह सं. नं० 38 व सं. नं० 38

गैर-सं. नं० 234/0-10, 235/0-10 वीं वीं विवाह सं. नं० 01 वीं वीं सं. नं०

जहाँ पुरी कोर्टकासिम का वरिष्ठ अधिकारी एवं कोटकासिम का

का वरिष्ठ अधिकारी एवं कोटकासिम का वरिष्ठ अधिकारी एवं कोटकासिम का

वरिष्ठ अधिकारी एवं कोटकासिम का वरिष्ठ अधिकारी एवं कोटकासिम का

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 13-6-15 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी

गई।

(बलवन्तसिंह लिग्री)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, कोटकासिम

वाद के खर्चे

| वादी | | प्रतिवादी | |
|----------------------------------|-------|---------------------------|-------|
| | रुपया | | रुपया |
| 1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प | / | शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प | / |
| 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प | | | |
| 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प | | | |
| 4. रुपये पर प्लीडर की फीस | | | |
| 5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय | | | |
| 6. कमिश्नर की फीस | | | |
| 7. आदेशिका की तामिल | | | |
| जोड़ | | जोड़ | |

मूल वाद में निर्णय व डिक्री
(आदेश 20 नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटकासिम जिला अलवर

पीठासीन अधिकारी:- बलवन्तसिंह लिग्री, आरएएस

उनवान

नवलकिशोर.....बनाम.....नत्थन आदि

रावा बाबत तकासमा मय हुक्मईतनाईदवामी अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

सुकदमा नम्बर :- 150/28.6.2013

निर्णय दिनांक:- 13-10-2016

वादी की ओर से.....नवलकिशोर.....की व प्रतिवादी की ओर से.....नत्थनराम..... की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख.....13-10-16..... को बलवन्तसिंह लिग्री, आरएएस, उपखण्ड अधिकारी, कोटकासिम(अलवर) के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि:- 1-नवलकिशोर पुत्र तिरखाराम अहीर सा0 जहाँपुरी को हाल आराजी खसरा नम्बर 41/2/0-07, 46/1 / 0-12, 81 / 0-18, 87/ 0-07, 98/2 / 0-02, 101/2 /0-02, 332/2/ 0-15, 340/ 0-07, 364 / 0-01, 387/1/0-10, 394 /2/0-09, 409/2/1-01, 420/2/0-05, 492/2/2-12 किता 14 रकबा 8.08 बीघा लगान 17.60 रूपयें पर, 2- नत्थनराम पुत्र तिरखाराम अहीर सा. जहाँपुरी को हाल आराजी खसरा नम्बर 41/1/0-06, 46/2/0-11, 66/0-14, 98/1/0-02, 101/1/0-03, 332/1/0-14, 334/ 0-12, 360/0-11, 364/0-02, 387/2/0-10, 394/2/0-03, 409/1/1-01, 420/1/0-06, 492/2/2-13 12 किता 14 रकबा 8.08 बीघा लगान 17.52 रूपयें पर, 3-जयसिंह पुत्र सिंगराम को हाल आराजी खसरा नम्बर 234/ 0-10 बिस्वा लगान 0.60 पैसा, 4-नवलकिशोर पुत्र तिरखाराम को हाल आराजी खसरा नम्बर 235/0-10 बिस्वा लगान 0.60 पैसा वाके ग्राम जहाँपुरी तहसील कोटकासिम जिला अलवर का मुताबिक कुरे कायमी रिपोर्ट खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्तानुसार अलग खाते व लगान कायम कर राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद किया जावें। पत्रावली निर्णय सुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर की जावें। निर्णय व डिक्री खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। आज दिनांक को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया। यह आज तारीख.....13-10-16.....को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(बलवन्तसिंह लिग्री)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, कोटकासिम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटकासिम जिला अलवर

नवलकिशोर.....बनाम.....नत्थन आदि

बाबत तकासमा मय हुकमईतनाईदवामी अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

मुकदमा नम्बर :- 150/28.6.2013

निर्णय दिनांक:-

वादी की ओर से.....नवलकिशोर.....की व प्रतिवादी की ओर से.....नत्थनराम..... की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 13-10-16 को बलवन्तसिंह लिप्री, आरएएस, उपखण्ड अधिकारी, कोटकासिम(अलवर) के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि:- 1.नवलकिशोर पुत्र तिरखाराम अहीर सा0 जहाँपुरी को हाल आराजी खसरा नम्बर 41/2/0-07, 46/1 / 0-12, 81 / 0-18, 87/ 0-07, 98/2 / 0-02, 101/2 /0-02, 332/2/ 0-15, 340/ 0-07, 364 / 0-01, 387/1/0-10, 394 /2/0-09, 409/2/1-01, 420/2/0-05, 492/2/2-12 किता 14 रकबा 8.08 बीघा लगान 17.60 रूपयें पर, 2- नत्थनराम पुत्र तिरखाराम अहीर सा. जहाँपुरी को हाल आराजी खसरा नम्बर 41/1/0-06, 46/2/0-11, 66/0-14, 98/1/0-02, 101/1/0-03, 332/1/0-14, 334/ 0-12, 360/0-11, 364/0-02, 387/2/0-10, 394/2/0-03, 409/1/1-01, 420/1/0-06, 492/2/2-13 12 किता 14 रकबा 8.08 बीघा लगान 17.52 रूपयें पर, 3-जयसिंह पुत्र सिंगराम को हाल आराजी खसरा नम्बर 234/ 0-10 बिस्वा लगान 0.60 पैसा, 4-नवलकिशोर पुत्र तिरखाराम को हाल आराजी खसरा नम्बर 235/0-10 बिस्वा लगान 0.60 पैसा वाके ग्राम जहाँपुरी तहसील कोटकासिम जिला अलवर का मुताबिक कुरे कायमी रिपोर्ट खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्तानुसार अलग खाते व लगान कायम कर राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद किया जावें। पत्रावली निर्णय सुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर की जावें। डिक्री खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। आज दिनांक को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया। पर्चा डिक्री आज तारीख 13.10.16 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(बलवन्तसिंह लिप्री)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, कोटकासिम

